

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उ.मा.वि.
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

// आदेश //

क्रमांक 5121 / अंग्रेजी माध्यम / संविदा भर्ती / आदेश / 2021-22: सूरजपुर दिनांक 29.11.2021


छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ 23-08/20-3 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 30.06.2021 के द्वारा दिये गये पद के अनुसार स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उ.मा.वि. जिला सूरजपुर (छ.ग.) में कॉलम नंबर 02 पर अंकित अभ्यर्थी को कॉलम नंबर 08 में अंकित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में निम्नांकित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	विषय	पता	संविदा मानदेय	अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंकिता यादव	श्री सत्यनारायण	व्याख्याता	भौतिक शास्त्र (अनारक्षित)	ग्राम केदारपुर हॉलीक्रास हास्पिटल के पीछे अम्बिकापुर	38100	स्वामी आ.शा.उ.(अंग्रेजी माध्यम) उ.मा.वि.ओड़गी

नियुक्ति शर्तें :-


- संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होंगे। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महिनों के लिये आनुपातिक आधार पर दिये जावेंगे।
- किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा होने पर वह नियमितकरण के लिये किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेगा और ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जाएगी।
- अभ्यर्थी का कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में उन्हें एक माह का नोटिस देकर उनकी संविदा नियुक्ति सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक माह की सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।
- चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य किये जायेंगे।
- भविष्य में शासन द्वारा एतद् द्वारा उक्त पदों पर नियमित भर्ती किये जाने पर यह नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।
- नियुक्ति आदेश में कोई लिपिकीय त्रुटि पाई जाती है तो वह कार्यालय द्वारा सुधार योग्य है।
- चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश प्रतिवर्ष शिक्षा सत्रांत तक के लिये वैध होगा, शिक्षा सत्रांत समाप्त होते ही अगली तिथि/कार्य दिवस को कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश का नवीनीकरण किया जायेगा। किन्तु इस शर्त पर कि शिक्षक/कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का भली-भांति पालन किया हो, अध्यापन कार्य में उत्कृष्ट रहा हो तथा विद्यार्थियों व अन्य सहकर्मियों के साथ आचरण कुशल रहा हो।
- अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा कार्य भार ग्रहण करने के पूर्व समस्त आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्व प्रमाणित कर पदस्थापना शाला में प्रस्तुत करना होगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को जारी आदेश के 07 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वयमेव निरस्त हो जावेगी।
- मासिक एकमुश्त राशि का निर्धारण वह होगा जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् पदस्थापना स्थल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि में स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र अप्राप्त रहने पर संविदा सेवायें एकपक्षीय रूप से समाप्त कर दी जावेगी।

14. संविदा में नियुक्ति कर्मचारी को पदस्थापना स्थल में ही रहना अनिवार्य होगा। निवासरत् न होने व मुख्यालय में न रहने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये बिना कारण बताओ सूचना के ही संविदा नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
15. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
16. उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना उपस्थिति प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर में देना होगा।
17. चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच में किसी प्रकार की असत्यता पाई जाने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी एवं नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।


 कलेक्टर/अध्यक्ष
 स्वामी आत्मानन्द शासकीय उत्कृष्ट
 (अंग्रेजी माध्यम) उ.मा.वि.
 जिला -सूरजपुर (छ0ग0)
 सूरजपुर दिनांक ...09.11.2021

पृ0क्रमांक / 5122 / अंग्रेजी माध्यम / संविदा भर्ती / 2021-22
 प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला सूरजपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को सूचनार्थ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर को सूचनार्थ।
8. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय सूरजपुर को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
9. सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर को सूचनार्थ।
10. प्राचार्य स्वामी आ.उ.(अं.मा.)उ.मा.विद्या. ओड़गी जिला सूरजपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
11. सर्व संबंधित अंकिता यादव को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


 कलेक्टर/अध्यक्ष
 स्वामी आत्मानन्द शासकीय उत्कृष्ट
 (अंग्रेजी माध्यम) उ.मा.वि.
 जिला -सूरजपुर (छ0ग0)